मध्यप्रदेश राजभाषा ग्रधिनियम, १९४७

(कमांक ४, मन १९४८)

[२४ जनवरी सन् १९४व को राज्यपाल की ग्रनुमति प्राप्त हुई, भीर यह अनुमाते ''सध्यप्रदेश राजपत'' में दिनांक ७ फरवरी, सन् १९४व को प्रथमबार प्रकाशित को गई.]

मध्यप्रदेश राज्य को राजभाषा घोषित करने के हेत ग्रधिनियम

चूकि हिन्दी को मन्तप्रदेश राज्य के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त की जानेवाली भाषा के रूप में प्रंगीकार करने के लिए उपतन्त्र करना बाछनीय है;

अतः भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में मध्यप्रदेश-विधान-मण्डल द्वारा इसे निम्नलिखिल रूप में शाधनियमित किया जाता है:---

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा पारंभ--(१) यह व्यक्षिनियम संयप्रदेश राजभाषा अधिनियम, १९९७ कहलाएगा.

(२) इसका विस्तार क्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा झौर, वह ''मध्यप्रदेश राजवद्र'' में अकाशित होते ही तुरन्त प्रभावशील होगा.

२. परिमावाएं --इस ग्रधिनियम में, जब तक कि कोई बात विषय या प्रसंग में विपरीत न हो, हिन्दी से ताल्प्य देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी से है.

२. राज्य के राज कीय प्रयोजनों के लिए राजझाया—एतद्यण्यात् उपबधित के अवीन उहते हुए तित्दी, उन प्रयोजनों के * तिस्कित, जो कि संविधान क्षारा विशेष रूप से अपनजित कर तरेग गये है, समस्त प्रयोजनों के लिए तथा ऐसे विषयों के रॉबंध में के प्रतिरिक्त जैसे कि राज्य-शासन द्वारा समय-समय पर प्रधिसूचना द्वारा उल्लिचित किये जाएं, राज्य की राजभाषा होगी.

४. विधेयकों के दि में प्रयुक्त को जानेवाली भाषा---(ग्र) राज्य-विधान-मण्डल के अत्येक राज्य में पुरःस्थापित किये जानेवाले समस्त विधेयकों में या उनमें प्रस्ताबित किये जानेवाले संगोधनां में

(मा) राज्य-निधान मण्डल में प्रत्येक सदन द्वारा पारित समस्त श्रधिनियमा में;

(इ) भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के प्रधीन प्रख्यापित समस्त झध्यादेशा में;

(ई) भारत के तंबिधान के प्रवीन या असद प्रयवा राज्य के विधान मण्डल ढारा बनाई गई किसी निधि के प्रधीन राज्य-णासन दारा जारी किये गये समस्त श्रादेशों, तिगरां, विनियनों एवं उप कीययों में प्रयुक्त की जानेवाली आधा ऐते दिनाक को तथा के जिसे हाल राज्य श सन पूर्वाक्त पदों में से प्रहेवक पद के संबंध में अधिमुख्या द्वारा नियत क हिन्दी होगी.

(२) मध्यप्रदेश आफिश्चियल लेशवेजेज एकड, १६१० (मध्यप्रदेश की राजभाषाओं का अखिनियम (६४०) (कगांक २४, मन, १९४०) तथा मध्यमारत शापकीय आधा दिधान, सबत. २००७ (अभीक ६७ सन् १९९०), निरस्त हो जाएंगे.

THE MADHYA PRADESH OFFICIAL LANGUAGE ACT, 1957.

(No. 5 of 1958)

Nº Watter State

[Received the assent of the Governor on the 24th January, 1958; assent first published in the Madhya Pradesh Gazette, on the 7th February 1958.]

An Act to declare the Official language of the State of Madhya Pradesh.

Whereas, it is expedient to provide for the adoption of Hindi as the language to be used for the official purposes of the State of Madhya Pradesh;

It is enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Eighth Year of the Republic of India as follows :--

1. Short title, extent and commencement—(1) This Act may be called the Madhya Pradesh Official Language Act, 1957.

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh and it shall come into force immediately on its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definition — In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context, 'Hindi' means Hindi in the Devanagri Script.

3. Official Language for Official purposes of the State — Subject as hereinafter provided, Hindi shall be the official language of the State for all purposes except such purposes as are specifically excluded by the Constitution and in respect of such matters as may be specified by Government from time to time by notification.

4. Language to be used in Bills, etc - The Language to be used in-

- (a) all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in each House of the State Legislature ;
- (b) all Acts passed by each House of the State Legislature;
- (c) all Ordinances promulgated under Article 213 of the Constitution of India;
- (d) all Orders rules, regulations and byelaws issued by the State Government under the Constitution of India or under any law made by the Parliament or the Legislature of the State;

shall, on and from such date, as the State Government may in respect of each of the items aforesaid appoint by notification, be Hindi.

5. Rules and repeal -(1) The Government shall have power to make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) The Madhya Pradesh Official Language Act, 1950 (XXIV of 1950), and the Madhya Bharat Official Language Act, Samvat 2007 (No. 67 of 1950) shall stand repealed.